

3/यो0संक०-24/2022 11

बिहार सरकार  
समाज कल्याण विभाग  
स्वीकृत्यादेश  
(संख्या /2024-25)

प्रेषक,

नवीन कुमार सिंह, (भा०प्र०से०),  
अपर सचिव,

सेवा में,

महालेखाकार,  
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक - 08.01.2025

विषय:-

मुख्यमंत्री सामाजिक सहायता एवं प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत बिहार राज्य विकलांगता सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य स्कीम मद में रूपया 14161.00 लाख (एक सौ एकतालीस करोड एकसठ लाख रुपये) मात्र के अतिरिक्त व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि समाज कल्याण विभाग के ज्ञापांक 5725 दिनांक 27.11.2017 के क्रम में राज्य सरकार द्वारा विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं, मृत्यु अनुदान योजनाओं, विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना एवं अन्य सामाजिक सहायता योजनाओं का संचालन, मुख्यमंत्री सामाजिक सहायता एवं प्रोत्साहन छत्र योजना के अधीन कार्यान्वित करने का निर्णय लिया गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में बिहार राज्य विकलांगता सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अन्तर्गत राज्य योजना में कुल रु० 22300.00 लाख (दो सौ तेईस करोड रु०) मात्र के व्यय की स्वीकृति विभागीय पत्रांक 31 दिनांक 08.04.2024 द्वारा तथा प्रथम अनुपूरक से प्राप्त 9661.41 लाख (छियानवे करोड एकसठ लाख एकतालीस हजार रुपये) मात्र के अतिरिक्त व्यय की स्वीकृति विभागीय पत्रांक 74 दिनांक 21.08.2024 को प्रदान की गयी है। अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के आलोक में द्वितीय अनुपूरक से प्राप्त रूपया 14161.00 लाख (एक सौ एकतालीस करोड एकसठ लाख रुपये) मात्र के अतिरिक्त व्यय की स्वीकृति निम्न प्रकार दी जाती है-

(राशि रु. लाख में)

| क्र 0                                         | योजना का नाम                                                    | विपत्र कोड         | विषय शीर्ष | पूर्व में स्वीकृत राशि | अतिरिक्त स्वीकृत राशि |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|------------|------------------------|-----------------------|
| 1                                             | 2                                                               | 3                  | 4          |                        | 5                     |
| 1                                             | बिहार राज्य विकलांगता सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना - सामान्य घटक | (51-2235601020104) | 0104.31.06 | 23561.41               | 14161.00              |
| कुल योग : (एक सौ एकतालीस करोड एकसठ लाख रुपये) |                                                                 |                    |            |                        | 14161.00              |

2 स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्ययन हेतु सामाजिक सुरक्षा निदेशालय (मुख्यालय) स्तर पर निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, जिला स्तर पर सभी सहायक निदेशक/प्रभारी सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित हैं।

3. उक्त स्वीकृत राशि के विरुद्ध सामाजिक सुरक्षा निदेशालय द्वारा वित्त विभाग के नियमानुसार आवंटनादेश निर्गत किया जायेगा तथा निर्गत आवंटनादेश के आधार पर ही राशि की निकासी एवं व्ययन किया जायेगा। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु बिहार वित्तीय नियमों का पालन करने की जिम्मेवारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

4. राशि की निकासी एवं व्ययन वित्त विभाग के पत्रांक 214/वि० दिनांक 06.03.2024, 3576 दिनांक 01.04.2024, 478/वि० दिनांक 06.08.2024, 730/वि० दिनांक 09.12.2024 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य अनुदेशों/परिपत्रों के अनुसार किया जायेगा।
5. स्वीकृत्यादेश पर संचिका संख्या-3/यो0स०क०-24/2022 के टिप्पणी पृष्ठ संख्या 13/टि० पर दिनांक 13.12.2024 को आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
6. यह स्वीकृत्यादेश संचिका संख्या-3/यो0स०क०-24/2022 के टिप्पणी पृष्ठ संख्या 18/टि० पर दिनांक- 30.12.2024 को अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग के अनुमोदनोपरान्त निर्गत की जा रही है।
7. यह चालू योजना है। अतः महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन

ह०/-

अपर सचिव,

समाज कल्याण विभाग।

जापांक- 3/यो0स०क०-24/2022

/...../दिनांक- 08.01.2025

प्रतिलिपि -महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/संयुक्त सचिव, वित्त विभाग (बजट शाखा)/विशेष कार्य पदाधिकारी, समाज कल्याण विभाग (बजट शाखा)/निदेशक, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/वरीय प्रशासी पदाधिकारी, सक्षम, अपना घर, बेली रोड, पटना/सभी सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

अपर सचिव,

समाज कल्याण विभाग।

जापांक- 3/यो0स०क०-24/2022

/...../दिनांक- 08.01.2025

प्रतिलिपि -कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी/सभी उप कोषागार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

अपर सचिव,

समाज कल्याण विभाग।

जापांक- 3/यो0स०क०-24/2022

/...../दिनांक- 08.01.2025

प्रतिलिपि -विभागीय आई०टी० मैनेजर, को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि उक्त स्वीकृत्यादेश की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

ह०/-

अपर सचिव,

समाज कल्याण विभाग।

जापांक- 3/यो0स०क०-24/2022

/...../दिनांक- 08.01.2025

प्रतिलिपि -अपर मुख्य सचिव समाज कल्याण विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

अपर सचिव,

समाज कल्याण विभाग।